न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S..

प्रकरण संख्या —58/2024 (अपील)
जीसीएमएस न0 2024/188

1. धन्ना आत्मज श्री अमरलाल उर्फ अमरा जाति चारण
2. कान्हा आत्मज अमरलाल उर्फ अमरा जाति चारण मृतक जरिये कायम मुकामान
   2/1 सीताबाई पत्नी स्व0 कान्हा
   2/2 प्रदीप पुत्र स्व0 कान्हा
3. सूडी पुत्री अमरलाल उर्फ अमरा जाति चारण
4. चम्पी बाई पुत्री अमरलाल उर्फ अमरा जाति चारण
5. रूकमणी पुत्री अमरलाल उर्फ अमरा जाति भांमी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र अमरलाल जाति भंमी
2. सुरेन्द्र पुत्र अमरलाल जाति भंमी
3. लक्ष्मण पुत्र अमरलाल जाति भंमी
4. कैला बाई पुत्री अमरलाल जाति भांभी
5. प्रेमबाई पत्नि अमरलाल जाति भांमी
   निवासीगण गडवाडा मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 29 दिनांक 26.12.2022 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी

उस्थिति
1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बनवारीलाल नागर अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1 से 5

निर्णय

दिनांक— 03.06.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हीरापुर में खाता संख्या 4 की कुल किता 2 की रकबा 0.6100 हे0 भूमि खातेदार अमरा पुत्र डूंगा जाति भांमी के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी । खातेदार अमरा की फोत होने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं मुताबिक सजरा के अमरा के वारिसान के नाम तहसीलदार लाडपुरा ने पटवारी रिपोर्ट एवं जांच आई एल आर के नामान्तरकरण संख्या 577 दिनांक 7.2.2022 को स्वीकृत किया गया ।
2. अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 577 दिनांक 07.02.2022 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.10.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा नायब तहसीलदार मण्डाना के समक्ष गलत बयानी करते हुये अपीलान्ट की आराजी को अपनी बताते हुये तथा अपने पिता अमरा उर्फ अमरलाल की बताते हुये फौती नामान्तरकरण तस्दीक करते समय पटवारी हल्का से मौका व कब्जे काश्त के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई मात्र रेस्पोउेन्ट के कथन को मानते हुये नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है जो निरस्तनीय है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पो0 नं0 1 से 5 की ओर से श्री बनवारीलाल नागर अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट के स्व0 पिता अमरलाल उर्फ अमरा को ग्राम हीरापुर पटवार हल्का मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी ख0नं0 92 की 0.31 हे0 ख0नं0 86/4768 रकबा 0.30 हे0, का आवंटन उप जिला कलेक्टर कोटा द्वारा दिनांक 22.6.1989 को समीपवर्ती भूमि होने के कारण आवंअन किया जाकर पट्टा दिया गया तथा कब्जा दिया गया था । उक्त आराजी स्व0 अमरलाल उर्फ अमरा की गैर खातेदारी में नामान्तरकरण सं0 65 दिनांक 24.5.90 को दर्ज की गई । उक्त आराजी पर वक्त आवंटन से ही स्व0 अमरलाल उर्फ अमरा उसके जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे तथा वर्तमान में अपीलान्ट काबिज काश्त है । नामान्तरकरण तस्दीक करते समय उक्त नामान्तरकरण में स्व अमरलाल उर्फ अमरा की जाति चारण के स्थान पर भंमी दर्ज कर दी गई जबकि भांमी कोई जाति ही नहीं होती है । उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए 188 काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा में पेश किया गया जहां से प्रकरण संख्या 61/17 उनवानी वाद अमरा उर्फ अमरलाल बनाम स्टेट ऑफ राज0 स्वीकार किया जाकर उक्त वाद में दिनांक 30.8.2024 को निर्णय पारित कर उक्त जाति की त्रुटि को दुरूस्त कर दिया गया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा नायब तहसीलदार मण्डाना के समक्ष गलत बयानी करते हुये अपीलान्ट की आराजी को अपनी बताते हुये तथा अपने पिता अमरा उर्फ अमरलाल की बताते हुये फौती नामान्तरकरण संख्या 577 अपने नाम दर्ज करवा लिया है, जिसके संबंध में फौती नामान्तरकरण तस्दीक करते समय पटवारी हल्का से मौका स्थिति तथा कब्जे काश्त के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई मात्र रेस्पोडेन्ट के कथन को मानते हुये नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है । अतः उक्त नामान्तरकरण प्रार्थीगण अपीलांट के हितों के विपरीत प्रभाव शून्य है और काबिल निरस्तनीय है । उक्त नामान्तरकरण के विपरीत प्रभाव शून्य है और काबिल निरस्तनीय है । उक्त नामान्तरकरण खोलते समय ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया गया है । विलम्ब से अपील पेश करने व मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया है कि प्रार्थीगण अपीलान्ट सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय की पालना में दिनांक 18.9.2024 को तहसील में उक्त नामान्तरकरण में उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिये गये तो पता चला कि उक्त नामान्तरकरण फोती के रूप से रेस्पे0 के नाम दिनांक 7.2.2.22 को खोला जा चुका है, उक्त प्रकार आदेश जेर अपील की जानकारी होती ही अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जाकर उक्त नामान्तकरण सं0 577 निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रथम तो अपीलांट इस अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है, तथा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है । साथ ही अपील 2 वर्ष 8 माह बाद प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाधित है । अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता की वल्दियत एक ही होने से इसका फायदा उठाते हुए अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में जाति दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त कर लिया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट को पार्टी नहीं बनाया है तथा दावा डिक्री हुआ उस वक्त रेस्पोडेन्ट के पिता अमरा जी की मृत्यु वर्ष 2021 में हो चुकी थी फिर भी मृतक व्यक्ति के विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा से दावा डिक्री करवा लिया है जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में विचाराधीन है । अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता के पिता अमरा पुत्र जाति डूंगा के नाम दर्ज थी जिसका फोती इन्तकाल रेस्पोडेन्टगण के नाम स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । नामांन्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है, इसमें हकों का निर्धारण नहीं होता है । हकों के निर्धारण के लिए नियमित वाद राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में विचाराधीन है । प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तरकरण संख्या 577 दिनांक 7.2.2022 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है । अपील मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 18.9.2024 को सहायक कलेक्टर कोटा के निर्णय के पालना के लिए तहसील में जाने पर होना बताया है । विलम्ब के लिए बताये गये कारण ठोस आधार नहीं है किन्तु प्रस्तुत अपील में मेरिट का बिन्दु निहित होने से केवल तकनीकि आधार पर अपील खारिज करना उचित नहीं पाते है । अतः प्रस्तुत अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।
7. अपीलाधीन नामान्तरकरण में वादग्रस्त भूमि अमरा पिता डूंगा जाति भांमी के नाम दर्ज थी, खातेदार फोत होने पर फोती नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टगण वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया, नामान्तरकरण प्रकिया में हम कोई दोष नहीं पाते है । अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता अमरलाल उर्फ अमरा को दिनांक 22.6.1989 को आवंटित हुई थी जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 24.5.1990 को दर्ज होना बताया तथा जिसमें अमरलाल उर्फ अमरा की जाति चारण के स्थान पर भांमी दर्ज करने का कथन किया है । यहां यह प्रश्न उठता है कि अपीलांट के पिता की जाति जब चारण के स्थान पर भांमी 24.5.1990 को ही दर्ज हो गई थी तो इस नामान्तरकरण संख्या 65 के विरूद्व अब तक अपील क्यों नहीं की गई ? तथा सहायक कलक्टर कोटा में दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया वह भी 2017 में प्रकरण संख्या 01/2017 से किया जाना जाहिर आया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपील लाये है, नामान्तरकरण प्रकिया में हम कोई खामी नहीं पाते है, क्योंकि खातेदार के फोत होने पर फोती नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम खोलने का दावित्व तहसीलदार का है । वैसे भी सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 30.08.2024 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील विचाराधीन है, जिसमें हकों का निर्धारण होना है । प्रस्तुत अपील बलहीन सारहीन होने से अस्वीकार योग्य पाते है ।
8. परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने एवं स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 577 दिनांक 07.02.2022 ग्राम हीरापुर में कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।
9. निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा